केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षकों की विभागीय परीक्षा

प्रश्न पत्र – द्वितीय सीमा शुल्क (सपुस्तक)

दिनांक : 16.06.2015 **पूर्णांक : 100**
समय : 2.00अ0 से 5.00अ0 **उत्तीर्णांक : 50**

टिप्पणी :

1. **प्रश्न सं0 7 अनिवार्य है** और उसके **20 अंक** है।
2. इसके अतिरिक्त प्रश्न सं0 1 से 6 में किन्ही **चार प्रश्नों** के उत्तर दें।
3. उम्मीदवार हिन्दी में उत्तर दें सकते है।
4. सभी उत्तरों के साथ सुंसगत प्राधिकार का उल्लेख अवश्य करें।

5- **पांच से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने का नकारात्मक मूल्याकंन किया जाएगा।**

सम्बन्धित पुस्तकें:

1. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52)
2. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51)
3. सीमा शुल्क नियम एवं विधियां
4. विदेशी व्यापार नीति–2015–20
5. आयात–निर्यात विधियों की दिग्दर्शिका
6. सीमा शुल्क सम्बन्धित अन्य अधिनियम और एतद् द्वारा बनाये गये नियम।
7. विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 और तत्सम्बन्धी नियमावली।

प्रश्न–1 निम्नलिखित प्रश्नों/कथनों के सही विकल्प की पहचान करें। **[10*2]**

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के किस उपबन्ध के अधीन आयातित माल पर सीमा शुल्क उद्ग्रहणीय है?

(क) धारा–17 (ख) धारा–12 (ग) धारा–14 (घ) धारा–15

(2) किस निर्यात अभिवृद्धि योजना के अन्तर्गत पूंजीगत माल सीमा शुल्क के रियायती दर पर आयात किया जा सकता है ?

(क) डी०एफ०आई०ए० (ख) डी०एफ०आर०सी० (ग) डी०ई०पी०बी० (घ) ई०पी०सी०जी०

(3) अतिरिक्त सीमा शुल्क (सी०वी०डी०) धारा .... के अधीन उद्गृहीत किया जाता है–

(क) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 12
(ख) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25
(ग) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14
(घ) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 03

(4) किन उपबंधों के अधीन आयातक द्वारा घोषित संव्यवहार मूल्य को उचित सीमा–शुल्क अधिकारी अस्वीकृत कर सकता है ?

(क) सीमा शुल्क अधिनियम, की धारा 17
(ख) सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 18
(ग) सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम, 2007 के नियम 3
(घ) सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम 2007 के नियम 12

(5) किसी वस्तु की तस्करी के लिए प्रयोग में लाया गया कोई वाहन धारा .... के अधीन अधिग्रहण के योग्य है।

(क) सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 110
(ख) सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 111
(ग) सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 115
(घ) सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 117

(6) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की किस धारा के अधीन लोक भांडागार (Public warehouse) नियत किए जाते है–

(क) धारा – 57 (ख) धारा – 60 (ग) धारा – 58 (घ) धारा – 65

(7) आयतित माल की निकासी करने के लिए कौन–सा दस्तावेज आवश्यक नहीं है?

(क) प्रवेश पत्र (ख) पोत परिवहन पत्र (ग) वहन पत्र (घ) आयात बीजक

(8) विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड) से सम्बन्धित निम्नलिखित कथनों में से कौन–सा कथन सत्य नहीं है ?

(क) विकास आयुक्त सम्बन्धित इकाई की स्थापना हेतु अनुमोदन पत्र जारी करेगा।
(ख) संबद्ध इकाइ प्रपत्र–एच में बंधपत्र सह विधिक बचन बन्ध संपादित करेगा और विकासक पत्र डी में।
(ग) बांड लेखा में नामे या जमा नहीं होता परंतु त्रैमासिक या वार्षिक आधार पर इसका अनुश्रवण किया जाएगा।
(घ) ईकाइयों को प्लास्टिक, स्क्रैप या अपशिष्ट के पुनः उपयोग की मंजूरी दी जाएगी।

(9) निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन एक अधिकारी आयातक एंव विभाग के मध्य विवाद के मामले में न्यायनिर्णयन अधिकारी नही है?

(क) सीमा शुल्क अधीक्षक (ख) सहायक/उप आयुक्त, सीमा शुल्क
(ग) सीमा शुल्क का संयुक्त/अपर आयुक्त (घ) सीमा शुल्क आयुक्त

(10) यदि काई व्यक्ति सीमा शुल्क अधिकारियों के आदेशों से व्यथित है, वह सीमा शुल्क आयुक्त (अपील) के समक्ष .... दिनों के अन्दर अपील प्रस्तुत कर सकता है :

(क) 30 दिन (ख) 90 दिन (ग) 60 दिन (घ) इनमें से कोई नही

प्रश्न–2 निम्नलिखित में से <u>किन्हीं दस</u> के सम्बन्ध में सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की सुसंगत धारा को उद्घृत करें। [10*2]

(क) आयतित और निर्यात माल का प्रतिषेद्ध
(ख) सीमा शुल्क पत्तन/विमान पत्तन का नियतन
(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा आदेश का पुनरीक्षण
(घ) माल के आयात पर प्रवेश पत्र प्रस्तुत करना
(ङ.) परिसर की तलाशी की शक्ति
(च) राजस्व के सरंक्षण के लिए संपत्ति की अनंतिम कुर्की
(छ) माल का पुनः आयात
(ज) अवतरण स्थान अनुमोदित करने और सीमा शुल्क क्षेत्र की सीमाओं को विनिर्दिष्ट करने की शक्ति
(झ) अधिसूचित माल को अर्जित करने वाले व्यक्ति द्वारा बरती जाने वाले पूर्वावधानी
(ञ) शुल्क का अनंतिम निर्धारण
(ट) निर्यात के लिये माल का समाशोधन
(ठ) शुल्क वापसी (ड्रा बैक) पर ब्याज

प्रश्न 3 . सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अनुसार निम्नलिखित में से <u>किन्ही दस</u> का वर्गीकरण करें। [10*2]

(क) पोर्टलैण्ड सफेद सीमेन्ट
(ख) समाचार पत्र की स्याही
(ग) पोली प्रोपाइलिन

(घ) ऊनी कम्बल (विद्युत कम्बल से भिन्न)
(ड.) 105 सेमी0 से अधिक आकार के स्क्रीन के टेलीविजन सेट
(च) स्कूटर जिसकी सिलिन्डर क्षमता 75 सीसी से अधिक नही हो
(छ) प्रजनन के उद्देश्य के लिये मेमना सहित भेड़
(ज) गोजातीय पशुओं का जमाया हुआ अस्थि रहित मांस
(झ) केसर वर्तिकाग्र (सैफ्रन स्टिग्मा)
(ञ) फुटकर बिक्री के लिये नही रखे गए वजन में 85 प्रतिशत या अधिक अन्तर्निहित धुने हुये ऊन के धागे या ऊन
(ट) 45 टन प्रति घंटे से अधिक स्टीम उत्पादन नही करने वाले वाटर ट्यूब ब्यालर्स
(ठ) 37.5 वाट से अधिक निर्गत नही करने वाले माइक्रामोटर्स

प्रश्न 4— निम्नलिखित में से किन्ही चार की व्याख्या करें। कृपया जहॉ लागू हो, महत्वपूर्ण विधिक प्रावधानों (धाराऍ/नियम/विनियम/अधिसूचना/परिपाटी) का उल्लेख करें। [4*5]

(क) प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त
(ख) परियोजना आयात
(ग) अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी
(घ) समझौता आयोग (सैटलमेन्ट कमीशन)
(ड.) सीमाओं पर आई पी आर का प्रवर्तन

प्रश्न 5— नीचे उल्लिखित दो के बीच अन्तर बताईये (कोई दो) [2*10]

(क) मूल्यनिरूपण की प्रथम जॉच प्रणाली एवम् मूल्य निरूपण की द्वितीय जॉच प्रणाली।
(ख) आई टी सी (एच एस) के अन्तर्गत प्रतिबन्धित एवम् निषिद्ध वस्तुऍ।
(ग) ट्रासॅक्सन मूल्य एवम् टेरिफ मूल्य। दो उदाहरण भी दीजिए, जहॉ आयाति वस्तुओं के मामले में टैरिफ मूल्य निश्चित किया गया है।

प्रश्न 6— कृपया निम्नलिखित व्यवहारिक प्रयोगो को हल कीजिए।

(क) निम्नलिखित परिस्थितियों में आयातित वस्तुओं के निर्धारणीय मूल्य की गणना करें। (विनिमय दर 1 यू एस डी=रू0 60 मानें) **[10]**

(I) कनसाइनमेन्ट का एफ ओ बी मूल्य 5000 यू एस डी है तथा आयातक द्वारा भाडें और बीमा का विवरण नही प्रस्तुत किया गया।
(II) वस्तुओं का एफ ओ बी मूल्य 2000 यू एस डी है तथा भाड़ा 1000 यू0एस0डी0 है, बीमा 100 यू0एस0डी0 है। वस्तुओं का आयात हवाई मार्ग से किया गया है।

(ख) निम्नलिखित परिस्थितियों में ड्यूटी की गणना अलग—अलग करें। **[5]**
वस्तुओं का सी0आई0एफ0 मूल्य 1000 यू0एस0डी0 है। निम्नलिखित ड्यूटी दर को लें बीसीडी=10%, सीबीडी=12%, एसएडी =4%, तथा शिक्षा उपकर =2%, तथा माध्यमिक एवम् उच्च शिक्षा उपकर=1% ।
बीसीडी, सीवीडी, एसएडी, शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक एवम् उच्च शिक्षा उपकर की सम्पूर्ण गणना करें।

(ग) निम्नलिखित परिस्थितियों में ड्यूटी की गणना अलग—अलग करें। **[5]**
40,000 यूएसडी के सीआईएफ मूल्य पर 10 मीट्रिक टन पोस्त दाने का आयात किया गया। पोस्तदाने के लिए निर्धारित टैरिफ मूल्य 3000 यूएसडी/मीट्रिक टन है। (ड्यूटी की दर बीसीडी=30%, सीबीडी=0%, एसएडी=4%, शिक्षा उपकर=2%, माध्यमिक एवम् उच्च शिक्षा उपकर=1%)

प्रश्न 7— यहाँ नीचे दिये गये मामले के तथ्यों के आधार पर कारण बाताओं नोटिस का मसौदा बनाएँ। मसौदा कारण बताओं नोटिस में साथ ही निम्नलिखित पहलू होने चाहिए। [20]

(क) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उन विशिष्ट प्रावधानों को उजागर करें जिनका आयातक द्वारा उल्लघंन किया गया है।

(ख) निर्धारणीय मूल्य निकालने के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले विधिक प्रावधानों (संगत धारा/नियम)को बताते हुए वस्तुओं के निर्धारणीय मूल्य निर्धारित करें।

(ग) आयातक द्वारा देय विभेदी शुल्क (डिफरेन्सियल ड्यूटी) निकालें।

(घ) इस मामले पर निर्णय करने में सक्षम अधिनिर्णयम प्राधिकारी का निर्णय करें।

इस विशिष्ट आसूचना के आधार पर कि मैसर्स ए बी सी, दिल्ली द्वारा कम मूल्यांकन का सहारा लेते हुए ड्यूटी की चोरी की जा रही है, हवाई मार्ग द्वारा आयात किया गया आयतित कनसाइन्मेन्ट जिसकी निकासी का मॉग आगम बिल सं0—11112222, दिनांक 30.06.2014 द्वारा की गई, एयर कार्गो, दिल्ली पर रोका गया। आगम बिल (बिल ऑफ एण्ट्री) में आयातक ने वस्तुओं को 400 जोडी अलवांश डिटेक्टर हैन्ड हॅल्ड के रूप में घोषित किया था तथा घोषित मूल्य 6.00 यूएसडी0 प्रति जोडी (अर्थात 30 यूएसडी प्रति नग) था। कनसाइनमेंन्ट का कुल मूल्य यू0एसडी 2400 (एफओबी आधार म्यूनखि पर) घोषित किया गया था।

आयातक की उपस्थिति में वस्तुओं की प्रत्यक्ष जॉच के दौरान वस्तुओं को ओर्टोवॉक्स ब्राण्ड अवलांश डिटेक्टर, जर्मनी में बनी हुई पाया गया और मात्रा 800 नग पाये गये। एक कार्टन के अन्दर दूसरी मूल इनवायस पायी गई, इनवायस में, वस्तुओं का मूल्य 200 यूएसडी नग (एफओबी) घोषित किया गया था आयतित वस्तु के मूल्य की गलत घोषणा करने एवम् ब्राण्ड की घोषणा न करने के लिए यूएसडी 1,60,000 एफओबी मूल्य की (बरामद की गई मूल्य इनवायस के अनुसार) वस्तुओं को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 के अन्तर्गत जब्त किया गया।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 108 के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2014 को श्री गुप्ता, मैसर्स ए बी सी के स्वामी का बयान रिकार्ड किया गया, जिसमें साथ—साथ उन्होने स्वीकार किया कि वस्तुओं की जॉच के दौरान बरामद की गई इनवायस सही इनवायस है। जैसा कि वह ड्यूटी के भुगतान से बचना चाहते थे, उन्होने स्वीकार किया कि उन्होने इरादतन वस्तुओं की संख्या में घोषित करने की बजाय जोड़ी में घोषित किया और आयतित वस्तुओं का ब्राण्ड भी घोषित नही किया ताकि जैसा उसके द्वारा घोषित किया गया वस्तुओं के कम मूल्य को उचित ठहराया जा सके। उन्होने यह भी बताया कि उसके पास कोई कागजात नही है। जिसमें आपूर्तिकर्ता द्वारा उसकी ओर से बीमा एवम् भाड़े की राशि का भुगतान करना दर्शाया गया हो, यह ध्यान दिया जाये कि वस्तुओं की जब्ती आउट आफ चार्ज से पहले की गई।

उन्होने अनुरोध किया कि वह विभाग द्वारा यथानिर्धारित जुर्माना अर्थदण्ड और ड्यूटी भुगतान करने के लिए तैयार है। उन्होने बताया कि वस्तुएँ सुरक्षा बलों के लिए है, अतः इन्हे प्राथमिकता के आधार पर उन्हे अवमुक्त किया जाये। (नोटः गणना के उद्देश्य से विनिमय दर 1 यूएसडी=60 रू0 बीसीडी दर=10% सममूल्यः =10% एसएडी, =4% सममूल्य, शिक्षा उपकर=2% समूल्य : माध्यमिक एवम् उच्च शिक्षा उपकर =1% सममूल्य मानें।)

*****